अध्याय- 12
वित्तीय संसाधन अंतराल एवं न्यायागमन

- वित्तीय संसाधन के अंतर का आकलन
- अंतर को पाटने की रणनीति
- हस्तांतरण योजना

12.1 जीवन यापन के लिये आवश्यक न्यूनतम सुविधायें यथा जल आपूर्ति, सड़क, नाली, मलजल एवं वर्षा जल निकासी, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइटिंग, इत्यादि नागरिक सुविधायें, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों को दी जाती है। इन स्थानीय निकायों के मुख्य दायित्वों को पूरा करने में लागत व्यय की तुलना में, इनके स्वयं की आय के स्रोतों की समीक्षा कर, केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर, केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का संवैधानिक प्रावधान है। यह सहायता कितनी हो इसका अनुमान लगाने के लिये आवश्यक है कि नागरिकों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय एवं भौतिक सुविधाओं की आवश्यकताओं का आंकलन कर वित्तीय संसाधन अन्तराल प्राप्त किया जाये, और शासन की वित्तीय स्थिति को देखते हुये स्थानीय निकायों को न्यागमन की जाने वाली राशि का निर्धारण किया जाये।

पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकताओं का अनुमान

सेवा अंतराल

12.2 पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकताओं का आंकलन करने के लिये आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदान की जा रही मुलभूत सेवाओं का सेवा अन्तराल कितना है? यह स्पष्ट होना तालिका क्र. 12.1 में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदत्त नागरिक सुविधाओं की वर्तमान स्थिति को दिखाया गया है।

तालिका - 12.1
ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त नागरिक सुविधाओं की वर्तमान स्थिति

क्र.	नागरिक सुविधा	सुविधा प्रदान करने वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत	सुविधा प्रदान नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	नल जल उपलब्धता	50.6	49.4
2.	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	26.1	73.9
3.	अपशिष्ट जल प्रबन्धन	58.0	42.0
4.	स्ट्रीट लाईटिंग	51.2	48.8

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़ (अनुलग्नक– 7.3, 7.6, 7.7)

12.3 उक्त तालिका से स्पष्ट है कि 51 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में नल जल की सुविधा उपलब्ध है और 49 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में अभी नल जल सुविधा उपलब्ध करायी जानी है। ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन का कार्य केवल 26 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में हो रहा है। लगभग 58 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में नालियों की सुविधा उपलब्ध है तथा, 42 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में अभी यह सुविधा प्रदान किया जाना है। इसी प्रकार स्ट्रीट लाइटिंग की सुविधा 51 प्रतिशत ग्राम पंचायतों मे उपलब्ध है और 49 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। प्रदेश की कुल 11,664 ग्राम पंचायतों को देखते हुए यह एक बड़ा अंतराल है।

12.4 ग्राम पंचायतों में आंतरिक सड़कें एक महत्वपूर्ण सुविधा है। ग्राम पंचायतों की कुल आंतरिक सड़को में से 43 प्रतिशत सड़कें पक्की है और 57 प्रतिशत सड़कें कच्ची है। इसे तालिका क्र. 12.2 में देखा जा सकता है।

तालिका - 12.2
ग्राम पंचायतों में औसत आंतरिक सड़कों की स्थिति

क्र.	सड़कों का विवरण	सड़कों की औसत लंबाई (कि.मी.में)	कच्ची एवं पक्की सड़को का प्रतिशत
1.	कच्ची सड़कें	7.07	57
2.	पक्की सड़कें	5.28	43
	योग	12.35	100

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, परिच्छेद 7.37 से 7.41

12.5 शहरी क्षेत्रों के समान ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी नागरिक सेवाएँ उपलब्ध होना चाहिये। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं के साथ केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा भी, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिये काम किये जा रहे हैं, किन्तु सेवा अंतराल के आंकड़ो को देखते हुए लगता है कि ये र्प्याप्त नहीं हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों के सदृश्य नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायतों के लिये सेवा स्तरांक

12.6 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के अनुश्रवण के लिए सेवा स्तरांक (Service Benchmark) निर्धारित किये गये हैं। यह स्तरांक नगरीय निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली नागरिक सेवाओं के अनुश्रवण एवं नगरीय क्षेत्रों के विकास पर, पूंजीगत एवं संधारण व्यय का अनुमान लगाने के लिये बहुत उपयोगी हैं। नगरीय निकायों द्वारा प्रदान की जा रही नागरिक सेवाओं के लिए चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान प्राप्त करने की पात्रता हेतु, नगरीय निकायों द्वारा प्रतिवर्ष सेवा स्तरांकों की वर्तमान स्थिति और आगामी वर्ष के लक्ष्यों को अधिसूचित करना अनिवार्य किया गया था।

12.7 शहरी क्षेत्रों के समतुल्य नागरिक सुविधायें ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने हेतु प्रथम कदम के रूप में आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों के लिये भी ''सेवा स्तरांक'' निश्चित किये जायें। ग्राम पंचायतों के लिये सेवा स्तरांक निर्धारित, करने से ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीणों को प्रदान की जाने वाली न्यूनतम नागरिक सेवाओं को सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसका लाभ यह भी होगा कि इससे नागरिक सेवाओं पर व्यय का अनुमान और दी जा रही मूलभूत सुविधाओं का निश्चित स्तरांक के आधार पर अनुश्रवण किया जा सकता है। भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा, 15वें वित्त आयोग की आबद्ध राशि के उपयोग के लिये जारी नियमावली में ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जा रही पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी सेवाओं को अनुश्रवण के लिये, पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी कुछ सेवा स्तरांकों को सम्मिलित किया गया है।[1]

12.8 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं के लिये सेवा स्तरांक निर्धारित करने हेतु सुझाव देने के लिये अध्ययन भी प्रायोजित किया गया। **नगरीय निकायों के लिये निर्धारित सेवा स्तरांकों, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों की मॉनिटरिंग के लिये सुझाये गये पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी सेवा स्तरांकों तथा राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रायोजित अध्ययन में सुझाये गये सेवा स्तरांकों के आधार पर, आयोग, ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली नागरिक सेवाओं के अनुश्रवण के लिये तालिका क्रमांक 12.3 के अनुसार सेवा स्तरांक निर्धारित करने की अनुशंसा करता है।**

[1] Manual for the utilization of 15th Finance Commission tied grants to Rural Local Bodies/PRIs for water & sanitation (2021-22 to 2025-26)

तालिका - 12.3
ग्राम पंचायत सेवा स्तरांक

क्र.	विवरण	संकेतक	स्तरांक
1.	**जल आपूर्ति**		
1.1	विस्तार	सभी बसाहटों में नल जल की आपूर्ति	100 प्रतिशत
1.2		सभी घरों में नल कनेक्शन	100 प्रतिशत
1.3	मात्रा	प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति	55 lpcd
1.4		प्रतिदिन नियत समय पर जल आपूर्ति	100 प्रतिशत
1.5	निरंतरता	जल आपूर्ति संबंधी विद्युत देयक का प्रतिमाह भुगतान	100 प्रतिशत
1.6	गुणवत्ता	स्वच्छ जल की आपूर्ति	100 प्रतिशत
1.7	लगत वसूली	जल आपूर्ति सेवा की लागत वसूली	100 प्रतिशत
2.	**स्वच्छता**		
2.1	पहुंच	ग्राम पंचायत के सभी घरों में टॉयलेट हैं	100 प्रतिशत
2.2	उपयोग	सभी घरेलू टॉयलेट उपयोग योग्य हैं	100 प्रतिशत
3.	**ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन**		
3.1	विस्तार	सभी घरों से कचरा इकट्ठा किया जा रहा है	100 प्रतिशत
3.2	निराकरण	एकत्रित कचरे का युक्तियुक्त निराकरण	100 प्रतिशत
3.3	लागत वसूली	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की लागत वसूली	100 प्रतिशत
4.	**अपशिष्ट जल प्रबन्धन**		
4.1	विस्तार	सभी आंतरिक पक्की सड़कों के दोनो तरफ नालियाँ हैं	100 प्रतिशत
5.	**स्ट्रीट लाइटिंग**		
5.1	विस्तार	सभी कच्ची पक्की सड़कों पर स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था है	100 प्रतिशत
5.2	निरंतरता	स्ट्रीट लाईट विद्युत देयक का प्रतिमाह भुगतान हो रहा है	100 प्रतिशत
5.3	लागत वसूली	स्ट्रीट लाईट के संधारण व्यय की वसूली	100 प्रतिशत

12.9 प्रत्येक संकेतक के स्तरांक की गणना हेतु आवश्यक डेटा एवं स्तरांक के गणना की जानकारी अनुलग्नक 12.1 में दी गई है।

पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान

12.10 राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़ का मत है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या को नागरिक सुविधायें यथा– जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, अपशिष्ट जल प्रबन्धन, स्ट्रीट लाइटिंग, आंतरिक सड़कों एवं गलियों का निर्माण, जल स्रोतों का संरक्षण, सामान्य मनोरंजन के साधनों का विकास इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये, तत्पश्चात् संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, अन्य विषयों जो संविधान की अनुसूची 11 में दी गई

है, पर कार्य किया जा सकता है। इसलिए आयोग ने अपनी अनुशंसाओं को नागरिक सुविधाओं के विकास पर ही केन्द्रित किया है।

ग्राम पंचायतें

12.11 आयोग द्वारा नागरिक सुविधाओं पर अपनी अनुशंसा केन्द्रित रखने के निर्णय के कारण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान लगाते समय, आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं द्वारा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर आने वाले व्यय को अपने आकलन में लिया है। राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं से ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर इनकी विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रति व्यक्ति रू. 834 व्यय किया जाता है, इसमें से 257 रूपये सेवाओं के संधारण तथा 577 रूपये पूंजीगत व्यय किये जाते हैं।

तालिका - 12.4
ग्राम पंचायतों द्वारा नागरिक सुविधाओं पर प्रति व्यक्ति संधारण एवं पूंजीगत व्यय

क्र.	नागरिक सुविधा	संधारण व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
1.	जल आपूर्ति	60.93	95.88	156.81
2.	स्ट्रीट लाईटिंग/प्रकाश व्यवस्था	12.90	29.74	42.64
3.	स्वच्छता /ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	32.62	48.26	80.88
4.	सड़क सुधार (आंतरिक सड़कें/गलियाँ)	38.88	126.07	164.95
5.	नाली /अपशिष्ट जल प्रबन्धन	15.41	51.75	67.16
6.	भवन निर्माण	31.25	103.00	134.25
7.	अन्य	65.27	122.37	187.64
कुल व्यय		**257.26**	**577.07**	**834.33**

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

12.12 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या 1.96 करोड़ थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत सरकार के जनसंख्या अनुमान के अनुसार 2021 में 2.17 करोड़ और 2030 में 2.29 करोड़ अनुमानित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अधिनिर्णय अवधि 2025 से 2030 के लिये जनसंख्या के अनुमान उपलब्ध हैं, विस्तृत जनसंख्या अनुमान अनुलग्नक 12.2 में दिये गये हैं।

संधारण व्यय

12.13 ग्राम पंचायतों के लिये संसाधनों का अनुमान लगाने हेतु, राज्य वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही न्यूनतम नागरिक सेवाओं को ही आकलन में लिया है। आयोग इस मत से सहमत है कि ग्राम पंचायतों द्वारा नगरीय निकायों के समकक्ष नागरिक सेवाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिये, इसलिये ग्राम पंचायतों के औसत संधारण व्यय के स्थान पर, प्रदेश के नगर पंचायतों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सेवाओं पर संधारण व्यय के आधार पर, ग्राम पंचायतों के लिए संधारण व्यय की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

तालिका - 12.5
अधिनिर्णय अवधि में नगर पंचायत (ग्राम पंचायत के समकक्ष)के लिये आवश्यक संधारण व्यय

क्र.	विवरण	प्रति व्यक्ति औसत संधारण व्यय नगर पंचायत (ग्राम पंचायत के समकक्ष) (2017–18 से 2021–22) (राशि रू. में)	अनुमानित जनसंख्या 2025 (जन.लाख में)	प्रति वर्ष आवश्यक संधारण व्यय (कॉ.4xकॉ.7) (राशि करोड़ रू में)	2025–26 से 2029–30 तक 5 वर्षों के लिये आवश्यक संधारण व्यय (कॉ.8x5) (राशि करोड़ रू. में)
1	2	4	7	8	9
1	जल आपूर्ति	56.03	222.99	124.94	624.71
2	स्ट्रीट लाईट	34.33	222.99	76.55	382.76
3	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	60.41	222.99	134.71	673.54
4	सड़क निर्माण	51.60	222.99	115.06	575.31
5	नाली अपशिष्ट जल प्रबन्धन	30.48	222.99	67.97	339.84
6	भवन निर्माण	16.34	222.99	36.44	182.18
7	अन्य	161.66	222.99	360.49	1802.43
	कुल योग	**410.85**		**916.16**	**4580.77**

स्रोत :– 1. छत्तीसगढ़ शासन का संबंधित वर्षो का बजट

12.14 विश्लेषण अवधि 2017–18 से 2021–22 के बीच छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत (ग्राम पंचायत के समकक्ष) का संधारण व्यय प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति, व्यय रू. 410.85 है। वर्ष 2025 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या 222.99 लाख के आधार पर ग्राम पंचायतों के लिये प्रतिवर्ष रू. 916.15 करोड़ और पांच वर्षों में कुल रू. 4580.77 करोड़ की आवश्यकता होगी। नागरिक सेवा वार, अधिनिर्णय अवधि 2025 से 2030 के लिये, आवश्यक राशि तालिका क्र. 12.5 में दर्शायी गई है।

पूंजीगत व्यय

12.15 ग्राम पंचायतों के पूंजीगत व्यय की का अनुमान लगाते समय मूलभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने पर आने वाले पूंजीगत व्यय को आकलन में लिया गया है। नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत एक प्रमुख मद जल आपूर्ति की व्यवस्था, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत की जा रही है। अतः अधिनिर्णय अवधि में इस प्रयोजन हेतु पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये केवल स्ट्रीट लाईट, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सड़क निर्माण तथा नाली निर्माण पर आने वाले पूंजीगत व्यय को आवश्यक पूंजीगत व्यय की गणना में सम्मिलित किया गया है।

12.16 तालिका क्र. 12.1 के अनुसार 74 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 42 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में नाली निर्माण तथा 49 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाईटिंग की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों की 57 प्रतिशत सड़कों का पक्कीकरण अभी होना है। उपरोक्त मूलभूत सुविधाओं (जल आपूर्ति को छोड़कर) को ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराने के लिए, राज्य वित्त आयोग की गणना अनुसार वर्तमान कीमतों एवं 2011 की जनसंख्या के आधार पर, प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय रू. 19,215 की आवश्यकता है। इस आधार पर वर्ष 2025 की अनुमानित 222.99 लाख जनसंख्या के लिये कुल रू. 42,847.53 करोड़ की पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होगी।

तालिका - 12.6
अधिनिर्णय अवधि में ग्राम पंचायतों के लिये आवश्यक पूंजीगत व्यय

क्र.	विवरण	प्रति व्यक्ति आवश्यक पूंजीगत व्यय (राशि रू.में)	अनुमानित जनसंख्या 2025	कुल आवश्यक पूंजीगत व्यय (कॉ.3xकॉ.4) (राशि करोड़ रू.में)
1	2	3	4	5
1.	स्ट्रीट लाईट	220	2,22,99,000	490.58
2.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	70	2,22,99,000	156.09
3.	सड़क निर्माण	10,514	2,22,99,000	23,445.17
4.	नाली/अपशिष्ट जल प्रबंधन	8,411	2,22,99,000	18,755.69
	योग	**19,215**		**42,847.53**

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

12.17 ग्राम पंचायतों में आंतरिक सड़कों के निर्माण के लिये रू. 23445.17 करोड़ तथा रू. 18,755.69 करोड़ सड़कों के दोनो तरफ नालियों के निर्माण के लिये सर्वाधिक राशि की आवश्यकता अनुमानित है। ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाईट के लिये पूंजीगत व्यय की अनुमानित आवश्यकता रू. 490.58 करोड है। प्रदेश की 51 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में हालांकि स्ट्रीट लाईट की सुविधा उपलब्ध है, किन्तु पूर्व में लगी लाइटें पुरानी और खराब होने की संभावना को देखते हुए स्थानापन्न करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिये अनुमान में सभी ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार, यद्यपि, 26 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य हो रहा है, किंतु वर्तमान रिक्शा गाड़ियों इत्यादि के स्थानापन्न करने की आवश्यकता को देखते हुये, पूंजीगत राशि का अनुमान सभी ग्राम पंचायतों के लिए रू. 156.09 करोड़ है।

प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय की गणना

12.18 पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त करने के दौरान उनके द्वारा सड़क निर्माण तथा नाली निर्माण के लिये बतायी गई दरों के आधार पर प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय अनुमान ज्ञात गये हैं। ग्राम पंचायतों में आंतरिक सड़कों की निर्माण लागत, 25 लाख रूपये (3 मीटर चौड़ी और 6 इंच मोटी) प्रति कि.मी. अथवा 2500 रू. मीटर की दर से अनुमानित हैं। इसी प्रकार नाली की निर्माण लागत 1000 रू. प्रति मीटर (एक फुट चौड़ी और एक फुट गहरी) की दर से अनुमानित हैं। सड़कों एवं नालियों के मापदंड आवश्यकतानुसार अलग–अलग हो सकते है। ग्राम पंचायतों के लिये अनुमानित आवश्यक पूंजीगत व्यय की गणना प्रक्रिया विस्तार से अनुलग्नक 12.3 में दी गई है।

जनपद एवं जिला पंचायत

12.19 जनपद एवं जिला पंचायत इकाईयां त्रिस्तरीय पंचायतीराज के अभिन्न अंग हैं। जनपद एवं जिला पंचायतों का कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायतें ही हैं। ये इकाईयां प्रमुख रूप से ग्राम पंचायतों के लिये विकास योजनाओं का संचालन

और उनकी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करती हैं। ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं का अनुमान पूर्व के खण्ड में लगा लिया गया है। उसी अनुमानित राशि से तीनों पंचायतीराज संस्थायें मिलकर छत्तीसगढ़ पंचायतीराज अधिनियम में दी गई भूमिका के अनुरूप कार्य करेगी। इसलिये, इस खण्ड में केवल जनपद एवं जिला पंचायतों के लिये आवश्यक राजस्व व्यय की गणना की जायेगी।

12.20 राज्य वित्त आयोग द्वारा एकत्र आंकड़ों के आधार पर 2017–18 से 2021–22 के बीच एक जनपद पंचायत का गत पांच वर्षों में औसत राजस्व व्यय रू. 2.50 करोड़ है। सभी 146 जनपद पंचायतों का एक वर्ष का कुल राजस्व व्यय 365.00 करोड़ हो जाता है। जनपद पंचायतों के राजस्व व्यय को प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय (जनपद पंचायतों का कुल राजस्व व्यय/2011 में प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या) के रूप में यदि व्यक्त किया जाये तो प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय 186.15 रू. है। वर्तमान प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय के आधार पर, आयोग के अधिनिर्णय अवधि में, जनपद पंचायतों के लिये, वर्ष 2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर, एक वर्ष हेतु रू. 415.10 करोड़ और पांच वर्षों के लिये कुल रू. 2075.48 करोड़ की आवश्यकता होगी।

तालिका - 12.7
जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लिये अनुमानित व्यय

क्र.	विवरण	वर्तमान प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय (राशि रू. में)	2025 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर	
			एक वर्ष के लिये अनुमानित राजस्व व्यय[1] (राशि करोड़ रू. में)	पांच वर्षों के लिये अनुमानित राजस्व व्यय[2] (राशि करोड़ रू. में)
1.	जनपद पंचायत	186.15	415.10	2075.48
2.	जिला पंचायत	22.13	49.35	246.74
योग		**208.31**	**464.51**	**2322.55**

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

1.प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय गुणा 2025 की अनुमानित जनसंख्या 2,22,99,000

2.एक वर्ष का राजस्व व्यय गुणा 5

12.21 प्रति जिला पंचायत राजस्व व्यय, वर्तमान में, रू. 1.55 करोड़ और 28 जिला पंचायतों का कुल राजस्व व्यय रू. 43.40 करोड़ है। जिला पंचायतों द्वारा राजस्व व्यय के अंतर्गत, 2011 की जनगणना के आधार पर, प्रति व्यक्ति रू. 22.13 व्यय किये जा रहे हैं। वर्तमान प्रति व्यक्ति राजस्व व्यय रू. 22.13 के आधार पर, आयोग की अधिनिर्णय अवधि 2025 से 2030 में, जिला पंचायतों हेतु एक वर्ष के लिये रू. 49.35 करोड़ तथा 5 वर्षों के लिये कुल रू. 246.74 करोड़ की आवश्यकता होगी।

12.22 इस प्रकार चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के आकलन अनुसार, आयोग की अधिनिर्णय अवधि 2025–26 से 2029–30 में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के लिये कुल रू. 49,750.52 करोड़ की आवश्यकता होगी। इसमें ग्राम पंचायतों के लिये रू. 47,428.30 करोड़ तथा जनपद एवं जिला पंचायतों के लिये क्रमशः 2,075.48 करोड़ रू. एवं 246.74 करोड़ रू. आवश्यकता है। कुल अनुमानित आवश्यक राशि में से राजस्व व्यय रू. 6,902.99 करोड़ रू. और पूंजीगत व्यय रू. 42,847.53 करोड़ अनुमानित है। इसे तालिका 12.8 में देखा जा सकता है।

तालिका क्र. 12.8
अधिनिर्णय अवधि 2025-30 में पंचायतीराज संस्थाओं के लिये कुल आवश्यक राशि

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	विवरण	ग्राम पंचायत	जनपद पंचायत	जिला पंचायत	योग
1.	राजस्व व्यय	4,580.77	2,075.48	246.74	**6,902.99**
2.	पूंजीगत व्यय	42,847.53	—	—	**42,847.53**
योग		**47,428.30**	**2,075.48**	**246.74**	**49,750.52**

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़

स्थानीय नगरीय निकायों की आवश्यकताओं का अनुमान

सेवा अंतराल

12.23 स्थानीय नगरीय निकायों के लिये राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि 2025–26 से 2029–30 तक पांच वर्षों तक आवश्यक राशि का अनुमान लगाने के लिये आवश्यक है कि नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सेवाओं में सेवा अंतराल ज्ञात हो।

तालिका - 12.9
नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सेवाओं में सेवा अंतराल

क्र.	विवरण	उपलब्ध सेवा विस्तार का प्रतिशत	बकाया सेवा का प्रतिशत
1.	नल जल सुविधा प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत	59.30	40.70
2.	भूमिगत मल जल निकासी की सुविधा प्राप्त जनसंख्या का प्रतिशत	05.00	95.00
3.	शहरी निकायों की कुल आंतरिक सड़कों में कच्ची सड़कों की लंबाई का प्रतिशत	82.90	17.10
4.	कुल आंतरिक सड़कों में सड़क किनारे नाली वाली सड़कों की लंबाई का प्रतिशत	76.65	23.35
5.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन		
	क. ठोस अपशिष्ट संग्रहण वाले क्षेत्र का प्रतिशत	93.44	6.56
	ख. कुल सड़कों में से नियमित सफाई वाली सड़कों का प्रतिशत	66.67	33.33
6.	कुल सड़कों में से स्ट्रीट लाईट सुविधा वाली सड़कों की लंबाई का प्रतिशत	78.61	21.39

स्रोत :– 1. छत्तीसगढ़ शासन का संबंधित वर्षो का बजट

12.24 नगरीय निकायों की 59.30 प्रतिशत जनसंख्या को नल जल सुविधा प्राप्त है। भूमिगत मल जल निकासी की सुविधा केवल 05 प्रतिशत जनसंख्या को प्राप्त है। शहरी निकायों की कुल आंतरिक सड़कों में से 17.10 प्रतिशत सड़कें कच्ची हैं। शहरी निकायों के 93.44 प्रतिशत क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट संग्रहित किया जा रहा है और 66.67 प्रतिशत सड़कों की नियमित सफाई हो रही है। नगरीय निकायों की 78.61 प्रतिशत सड़कों पर स्ट्रीट लाईट की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों को उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सेवाओं का सेवा अंतराल तालिका क्र. 12.9 में दिया गया है। इन्हीं सेवा अंतराल के आधार पर नगरीय निकायों के लिये आवश्यक संधारण व्यय एवं पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया गया है।

नगरीय निकायों हेतु वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता का अनुमान

12.25 नगरीय निकायों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय ध्यान रखा गया है कि, जिस नागरिक सेवा पर कार्य अन्य योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है उन सेवाओं में होने वाले व्यय को आकलन में सम्मिलित नहीं किया गया है। शहरी क्षेत्रों में नल जल सुविधा केन्द्र सरकार की योजना अमृत (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation -AMRUT) एवं राज्य योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। इसलिये नल जल सुविधा के संधारण व्यय को आवश्यकता के आकलन में सम्मिलित किया गया है, किन्तु पूंजीगत व्यय को आकलन में नही लिया गया है।

12.26 वर्तमान व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हुये नगरीय निकायों में मल जल निकासी की सुविधा विकसित करना एक चुनौती है। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना एवं वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होगी। इसलिये राज्य वित्त आयोग द्वारा मल जल निकासी सुविधा को चुनौती पूर्ण कार्य मानते हुये इसे नगरीय निकायों के संधारण एवं पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं के आकलन में नही लिया गया है।

12.27 **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि प्रदेश के नगरीय निकायों मे ''मल जल निकासी'' की सुविधा विकसित करने के लिये निकायों का अध्ययन कर, योजना बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों एवं विभागीय अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाये और समिति की अनुशंसा अनुसार, योजना का क्रियान्वयन तथा राशि की व्यवस्था, राज्य सरकार द्वारा चरणबद्ध रूप से की जाये।**

12.28 राज्य वित्त आयोग द्वारा शहरी निकायों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिये जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक शहरी सड़कें, नाली तथा स्ट्रीट लाईटिंग जैसी मूल नागरिक सेवाओं को आवश्यकताओं के अनुमान में सम्मिलित किया गया है। नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सेवाओं में शहरी परिवहन एवं यातायात सहायता प्रणाली को भी सम्मिलित किया जाता है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय शहरी अधोसंरचना एवं सेवाओं के लिये आवश्यक निवेश का अनुमान लगाने के लिये गठित उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (2011) की रिपोर्ट में भी, शहरी परिवहन एवं यातायात सहायता प्रणाली को अपने अनुमान में सम्मिलित किया गया है। राज्य वित्त आयोग मत है कि, आयोग को प्रथमतः मूलभूत नागरिक सेवाओं की उपलब्धता पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये तथा शहरी यातायात एवं यातायात सहायता प्रणाली के विकास हेतु अन्य केन्द्रीय एवं राज्य योजनायें प्रारंभ की गई हैं, इसलिये आयोग द्वारा इन दोनो सेवाओं को आवश्यकताओं के अपने अनुमान में सम्मिलित नही किया है।

संधारण व्यय

12.29 शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (2011) में शहरी निकायों में आवश्यक निवेश का अनुमान लगाने के लिए, प्रति व्यक्ति संधारण व्यय को आधार बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग ने नगरीय नियों के लिए आवश्यक व्यय का अनुमान विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित प्रति व्यक्ति संधारण व्यय तथा वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ में अनुमानित नगरीय जनसंख्या (85.68 लाख) के आधार पर आकलित किया है। प्रदेश के नगरीय निकायों से एकत्रित समंक के अनुसार 2017—18 से 2021—22 के बीच प्रति व्यक्ति औसत संधारण व्यय रू. 762.52 है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में मल जल निकासी को छोड़कर शेष पांच मूल नागरिक सेवाओं के संधारण व्यय, वर्ष 2009—10 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति रू. 1114 अनुमानित है। आयोग ने नगरीय निकायों में मूलभूत नागरिक सेवाओं में सुधार एवं विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, मेंनिर्धारित प्रति व्यक्ति संधारण व्यय में कोई भी वृद्धि नही करते हुए, नगरीय निकायों के लिए संधारण व्यय का अनुमानित किया है।

तालिका - 12.10
नगरीय निकायों का अनुमानित संधारण व्यय

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	मूल नागरिक सेवा	प्रति व्यक्ति संधारण व्यय	एक वर्ष का अनुमानित संधारण व्यय	पांच वर्षों हेतु अनुमानित संधारण व्यय
1	2	3	4	5
1.	जल आपूर्ति	501	429.26	2146.28
2.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	155	132.80	664.02
3.	शहरी सड़क	397	340.15	1,700.75
4.	नाली	53	45.41	227.05
5.	स्ट्रीट लाइटिंग	8	6.85	34.27
योग		**1,114**	**954.47**	**4,772.37**

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़

12.30 प्रति व्यक्ति संधारण व्यय रू. 1114 के आधार पर, प्रदेश के नगरीय निकायों हेतु, 2025 की अनुमानित जनसंख्या 85.68 लाख के लिये एक वर्ष में कुल 954.47 करोड़ रू. और पांच वर्षों के लिये कुल 4772.37 करोड़ की आवश्यकता होगी। संधारण व्यय के अंतर्गत सबसे अधिक 2146.28 करोड़ रू. की राशि की जल आपूर्ति सेवा तथा 1700.75 करोड़ रू. शहरी सड़कों के संधारण हेतु (तालिका 12.10) अनुमानित है।

पूंजीगत व्यय

12.31 पूंजीगत व्यय की आवश्यकता का अनुमान बकाया सेवाओं को पूरा करने तथा अधिनिर्णय अवधि तक नई जुड़ने वाली जनसंख्या को मूल नागरिक सेवायें उपलब्ध कराने में आने वाले व्यय के आधार पर लगाया गया है। तालिका क्र 12.9 में दर्शाये गये सेवा अंतराल के आधार पर बकाया सेवाओं पर आने वाले व्यय की गणना की गई है। शहरी आंतरिक कच्ची सड़कों को पक्का करने में आने वाली लागत की गणना रू. 6.00 करोड़ प्रति कि.मी. तथा बकाया नाली निर्माण की लागत भी अनुमानित रूप से रू. 4.00 करोड़ प्रति कि.मी. के आधार पर की गई है। पक्की सड़क तथा नाली निर्माण लागत का अनुमान लगाने के लिये संबंधित विभागों से चर्चा की गई है। शहरों के आंतरिक सड़कों तथा नालियों के लिए मापदंड, आवश्यकता और स्थान के आधार पर सामान्यतः अलग—अलग होते हैं। मापदंड के अनुरूप निर्माण लागत भी भिन्न—भिन्न हो सकती है। इसी प्रकार बकाया स्ट्रीट लाइटिंग व्यय का अनुमान प्रति इकाई रू. 2000 के आधार पर लगाया गया है। सेवा अंतराल के आधार पर बकाया कच्ची सड़कों को पक्का करने, नाली निर्माण तथा स्ट्रीट लाईटिंग पर कुल 22691.95 करोड़ व्यय आने का अनुमान है। विस्तृत विवरण तालिका क्र. 12.11 में देखा जा सकता है।

बॉक्स 12.1
प्रति व्यक्ति आवश्यक पूंजीगत व्यय

(राशि रू. में)

क्र.	नागरिक सेवा	प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय
1.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	391
2.	शहरी सड़कें	22,974
3.	नाली/वर्षा जल निकासी	3,526
4.	स्ट्रीट लाईटिंग	366
	योग	**27,257**

टीपः शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट 2011

तालिका - 12.11
नगरीय निकायों के लिये आवश्यक पूंजीगत व्यय

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	विवरण	आवश्यक पूंजीगत व्यय
भाग—A		
1.	बकाया सुविधाओं पर आने वाला पूंजीगत व्यय	
	क. बकाया कच्ची सड़कों को पक्का करने का लागत (अनुलग्नक—12.4)	11418.00
	ख. बकाया नाली निर्माण का लागत (अनुलग्नक—12.5)	10536.00
	ग. बकाया स्ट्रीट लाईटिंग लागत (अनुलग्नक—12.6)	11.72
	घ. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	726.23
	योग	22691.95
2.	नवीन जनसंख्या 26.31 लाख को *ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नाली, आंतरिक सड़कें एवं स्ट्रीट लाइटिंग* जैसी नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने का पूंजीगत व्यय (अनुलग्नक—12.7)	7171.31
3	**योग 1 एवं 2**	**29863.26**
4	बिन्दु क्र. 1 एवं 2 में दर्शित मदों के अलावा अन्य मदों हेतु अनुमानित व्यय रू. 29863.26 करोड़ के 10 प्रतिशत के बराबर राशि	2986.33
5	योग बिन्दु 3 एवं 4	32849.59
6	कुल शहरी क्षेत्रां के नवीनीकरण एवं पुनर्विकास हेतु अनुमानित व्यय रू. 32849.59 करोड़ के 12 प्रतिशत के बराबर राशि	3941.95
7	योग बिन्दु 5 तथा 6	36791.54
8	क्षमता संवर्धन कुल राशि का 2.5 प्रतिशत	919.78
	महायोग	**37,711.32**

टीपः प्रत्येक व्यय के गणना की प्रक्रिया व्यय के समक्ष दिये अनुलग्नक में दी गई है, स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़

12.32 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की शहरी जनसंख्या 59.37 लाख थी। वर्ष 2021 में इसके 78.10 लाख और वर्ष 2030 तक इसके 95.15 लाख होने का अनुमान है। इस प्रकार वर्ष 2011 के बाद वर्ष 2025 तक शहरी जनसंख्या में 26.21 लाख बढ़ने का अनुमान है। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त जनसंख्या को नागरिक सुविधा उपलब्ध करने के लिये प्रति व्यक्ति पूंजीगत व्यय रू. 27,257 व्यय करने की आवश्यकता होगी। इस प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर 2025 तक बढ़ने वाली 26.21 लाख जनसंख्या को मूल नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिये रू. 7171.31 करोड़ की आवश्यकता होगी।

12.33 नगरीय निकायों हेतु बकाया सेवाओं की पूर्ति तथा नवीन जनसंख्या को नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु रू. 29863.26 करोड़ के व्यय की आवश्यकता होगी। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोट अनुसार नगरीय निकायों के अन्य मद हेतु अनुमानित व्यय का 10 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों के नवीनीकरण एवं पुर्नविकास हेतु 12 प्रतिशत तथा क्षमता संवर्धन हेतु 2.5 प्रतिशत कि अतिरिक्त आवश्यकता होती है। इस प्रकार कुल आवश्यक राशि रू. 37,711.32 करोड़ आवश्यक होंगे। इसका विस्तृत विवरण तालिका क्र. 12.11 में उपलब्ध है।

12.34 राज्य वित्त आयोग के आकलन अनुसार शहरी निकायों के लिये अधिनिर्णय अवधि 2025 से 2030 तक 5 वर्षों में कुल रू. 42483.69 करोड़ की आवश्यकता होगी। इसके अंतर्गत संधारण व्यय हेतु रू. 4,772.37 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रू. 37,711.32 करोड़ का आकलन किया गया है।

तालिका - 12.12
नगरीय निकायों हेतु कुल आवश्यक राशि

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	विवरण	राशि
1.	संधारण व्यय	4,772.37
2.	पूंजीगत व्यय	37,711.32
योग		**42,483.69**

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़

12.35 इस प्रकार मूल नागरिक सेवाएँ नागरिकों को उपलब्ध कराने पर एक संकुचित अनुमान के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं हेतु रू. 49,750.52 करोड़ तथा रू. 42,483.69 करोड़ रू. शहरी निकायों हेतु व्यय होने का अनुमान है।

12.36 राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के 2017–18 से 2021–22 तक पांच वर्षों के एकत्र आंकड़ों के आधार पर स्थानीय निकायों के सेवा अंतराल तथा वित्तीय संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया है। समस्त जानकारी ऑनलाईन मंगाई गई है। पंचायत एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सुविधाओं तथा उनके आय एवं व्यय का सतत् किये जाने की आवश्यकता है।

12.37 **अतएव राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय तथा उनके द्वारा उपलब्ध करायी जा रही नागरिक सेवाओं का, निर्धारित बेंचमार्क के विरूद्ध नियमित अनुश्रवण किया जाये। बेंचमार्क के विरूद्ध, निकायों में नागरिक सुविधाओं की स्थिति संबंधी आंकड़े, वेबसाईट के माध्यम से सार्वजनिक भी किये जायें।**

12.38 अनुशंसा 12.37 के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालयों को आय–व्यय एवं प्रदत्त सेवाओं के वस्तुस्थिति से संबंधित आंकड़ो की नियमित आवश्यकता होगी। **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि आंकड़े प्राप्त करने के लिये पंचायत एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, राज्य वित्त आयोग के सॉफ्टवेयर एवं मोबाईल एप, का उपयोग किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर में स्थानीय निकायों द्वारा जानकारी फीड करने के पश्चात् पूर्व निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्राप्त होती है। दोनो संचालनालय द्वारा न्यूनतम प्रयास से आवश्यकतानुरूप, चिप्स (CHIPS) के माध्यम से सॉफ्टवेयर में सुधार करवाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर चिप्स के सर्वर में उपलब्ध है।**

स्थानीय निकायों की प्राप्तियाँ

12.39 संवैधानिक प्रावधान तथा पंचायतीराज अधिनियम, नगर पालिक निगम एवं नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय निकायों की राजस्व प्राप्तियों के निम्नांकित स्त्रोत हैं:–

1. अपने क्षेत्राधिकार में कर एवं शुल्क अधिरोपित करने की शक्तियाँ।
2. समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में ऐसे करों, उपकर, अधिभारों का नियमानुसार हिस्सा अथवा पूर्ण राशि जिसका अधिरोपण राज्य स्तर पर किया जाता है और जिसका अधिनियमों एवं नियमों में प्रावधान किया गया हो।
3. राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्तियाँ।
4. केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशसा पर प्राप्तियाँ।
5. राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान।

12.40 छततीसगढ़ के स्थानीय निकायों को वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक के पांच वर्षों की अवधि में विभिन्न स्त्रोतों से औसत वार्षिक प्राप्तियाँ रू. 4901.06 करोड़ हैं। पंचायती राज संस्थाओं को रू. 2,280.15 करोड़ और शहरी स्थानीय निकायों को रू. 2,620.91 प्राप्त हुये हैं। तालिका क्र. 12.13 अनुसार कुल प्राप्तियों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय का हिस्सा पंचायतीराज संस्थाओं का 3 प्रतिशत है और नगरीय निकायों का 28 प्रतिशत है। पंचायतीराज संस्थाओं की कुल प्रप्तियों में सर्वाधिक 53 प्रतिशत राशि केन्द्रीय वित्त आयोग और 35 प्रतिशत राशि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होती है। नगरीय निकयों को भी लगभग 15–15 प्रतिशत राशि केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होती है। नगरीय निकायों की कुल प्राप्तियों का एक बड़ा हिस्सा समनुदेशित प्राप्तियों अथवा अनुदान के रूप में प्राप्त होता है ,जो कि 43 प्रतिशत है। समनुदेशित प्राप्तियों में सम्मिलित करों के समाप्त होने अथवा वस्तु एवं सेवा कर मे सम्मिलित होने के कारण उन करों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राषि के समतुल्य राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जा रही है इसलिये अनुदान के अंतर्गत प्राप्तियों का हिस्सा अधिक प्रतीत होता है।

तालिका - 12.13
2017-18 से 2021-22 तक स्थानीय निकायों की औसत वार्षिक प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	विवरण	ग्राम पंचायत	नगरीय निकाय	योग
1.	स्वयं के स्त्रोत से आय	68.86	727.66	**796.52**
		(3.02)	*(27.76)*	*(15.99)*
2.	समनुदेशित प्राप्तियाँ	202.01	75.28	**277.29**
		(8.86)	*(2.87)*	*(5.72)*
3.	अनुदान	–	1044.79	**1044.79**
		–	*(39.86)*	*(20.89)*
4.	राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्तियाँ	806.29	391.00	**1197.29**
		(35.36)	*(14.92)*	*(24.65)*
5.	केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्तियाँ	1202.99	382.18	**1585.17**
		(52.76)	*(14.58)*	*(32.75)*
	कुल योग	**2,280.15**	**2,620.91**	**4,901.06**

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़। स्वयं के स्त्रोत से आय के आंकड़े न्यादर्श सर्वेक्षण तथा शेष आंकड़े विभिन्न वर्षों के बजट से लिये गये हैं।
टीपः कोष्ठक में दिये गये आंकड़े कुल योग के प्रतिशत को व्यक्त करते हैं।

संसाधन अंतराल

12.41 स्थानीय निकायों की स्वयँ की प्राप्तियाँ एवं प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन पर अपेक्षित संभावित व्यय का अंतर ही संसाधन अंतराल है। स्वयं के स्रोतों से आय एव समनुदेशित प्राप्तियों को स्थानीय निकायों की स्वयं की प्राप्तियों में सम्मिलित करना विधि सम्मत प्रतीत होता है। इस अंतराल को कम करने के लिये केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को न्यागमन का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। संसाधन अंतराल कितना है और इस अंतराल को समाप्त अथवा कितना कम किया जा सकता है, इस पर इस खण्ड में आगे विचार किया जायेगा।

12.42 स्थानीय निकायों की स्वयं के स्रोतों से प्राप्तियों में समनुदेशित प्राप्तियों को भी सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को स्वयं के स्रोतों से वर्ष 2025–26 से 2029–30 तक के लिए, प्रक्षेपित राशि, रू. 2,421.17 करोड़ तथा नगरीय निकायों को रू. 16,515.89 करोड़ की प्रप्तियाँ संभावित हैं, जबकि, पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के लिये संधारण एवं पूंजीगत व्यय के अंतर्गत क्रमशः रू. 49,750.52 करोड़ एवं रू. 42,483.69 करोड़ की आवश्यकता है। यदि दोनों को मिलाकर देखें तो स्थानीय निकायों की स्वयं के स्रोातों से प्राप्तियाँ रू. 18,937.06 करोड़ और व्यय हेतु आवश्यकता रू. 92,234.21 करोड़ की है। इस प्रकार स्थानीय निकायों का संसाधन अंतराल रू. 73,297.15 करोड़ का है। प्रक्षेपित राशि की गणना, अनुलग्नक 12.10 तथा अनुलग्नक 12.13 में उपलब्ध है।

तालिका - 12.14
स्थानीय निकायों का 2025-30 पांच वर्षों की स्थिति में संसाधन अंतराल

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	विवरण	पांच वर्षों में स्वयं के स्रोतों से संभावित प्राप्तियाँ	प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन पर संभावित व्यय	संसाधन अंतराल
1.	पंचायती राज संस्थाएँ	2,421.17	49,750.52	47,329.35
2.	नगरीय स्थानीय निकाय	16,515.89	42,483.69	25,967.80
योग		**18,937.06**	**92,234.21**	**73,297.15**

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़।

संसाधन अंतराल को पाटने की रणनीति

12.43 तालिका क्र. 12.14 से स्पष्ट है कि संसाधन अंतराल बहुत बड़ा है, जिसकी पूर्ति आसानी से नही की जा सकती इसकी पूर्ति हेतु सभी स्तरों पर प्रयास किये जाने की आवश्यकता होगी। इस हेतु निम्नानुसार रणनीति अपनाई जा सकती हैः–

ग्राम पंचायतों की स्वयं के स्रोत से प्राप्तियाँ

12.44 राज्य वित्त आयोग द्वारा सैंपल अध्ययन के अनुसार 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतें करों का अधिरोपण करती हैं, और उसमें से एक तिहाई ग्राम पंचायतें करों की वसूली नही करती हैं। 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतें करारोपण नही कर रही हैं। यदि सभी ग्राम पंचायतें, वर्तमान दर से भी करों की वसूली करती हैं तो प्रति वर्ष औसत रूप से 159.45 करोड़ रू. की वसूली होती जबकि वसूली 63.78 करोड़ रू. की हो रही है। यदि सभी ग्राम पंचायतों द्वारा वर्तमान दर पर ही करों की वसूली करने से पंचायतों को 95.67 करोड़ रू. अधिक प्राप्तियाँ होतीं। तालिका क्र. 12.15 के अनुसार अधिनिर्णय अवधि के पांच वर्षों में समस्त ग्राम पंचायतों द्वारा करों की वसूली करने पर पंचायतों को स्वयं के स्त्रोत से रू. 855.14 करोड़ की अधिक प्राप्तियाँ होंगी।

तालिका - 12.15
100 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा करारोपण करने पर प्रक्षेपित प्राप्तियाँ

(राशि करोड़ रू. में)

क्र	विवरण	2025–26	2026–27	2027–28	2028–29	2029–30	योग
1	100 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा करारोपण किए जाने पर स्वयं के कर स्रोत से प्राप्तियां	233.45	256.80	282.48	310.72	341.80	1425.24
2	40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा करारोपण करने पर स्वयं के स्रोत से प्राप्तियां	93.38	102.72	112.99	124.29	136.72	570.10
प्राप्तियों का अंतर		**140.07**	**154.08**	**169.49**	**186.43**	**205.08**	**855.14**

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़।

12.45 राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि ग्राम पंचायतों को करारोपण हेतु प्रोत्साहित करने के लिये, ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत से जितनी आय प्राप्त की जाती है, उसके समतुल्य राशि, निष्पादन अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाये।

समनुदेशित प्राप्तियाँ

12.46 समनुदेशित प्राप्तियाँ, स्थानीय निकायों की राजस्व प्राप्तियों की एक महत्वपूर्ण मद है। समनुदेशित प्राप्तियों के अंतर्गत स्थानीय निकायों को अधिनियमों और नियमों में किये गये प्रावधान अनुसार करों, उपकरों, अधिभारों एवं शुल्क का नियमानुसार हिस्सा अथवा संपूर्ण राशि प्रदान की जाती है, जिनका अधिरोपण एवं संग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

12.47 समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में स्थानीय निकायों को निम्नानुसार करों, उपकरों, अधिभारों अथवा शुल्कों की राशि प्रदान करने के लिए अधिनियमों तथा नियमों में प्रावधान किया गया है।

1. पंचायत अधिनियम 1993 के अनुसार, भू–राजस्व पर उपकर की राशि ग्राम पंचायतों को प्रदान की जायेगी।
2. पंचायत अधिनियम 1993, नगर पालिक निगम अधिनियम 1956, नगर पालिका अधिनियम 1961 तथा भारतीय स्टॉम्प अधिनियम 1989 के अनुसार, संपत्तियों के पंजीकरण पर एक प्रतिशत अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्क की राशि, पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को प्रदान की जायेगी।
3. छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम 1996 के अनुसार गौण खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी नियमानुसार संबंधित पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को प्रदान की जायेगी।
4. मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1981 एवं छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम 2022 के अनुसार कृषि एवं रिक्त भूमि के अंतरण पर अंतरण प्रतिफल मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर लगाये गये उपकर की राशि पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की जायेगी।
5. छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2010 अनुसार आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के लिये विहित शुल्क पर 10 प्रतिशत अधिभार पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को देय होगा। पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को यह अंतरण जनसंख्या के आधार पर देय होगा।

12.48 पैरा 12.47 में समनुदेशित प्राप्तियों की दर्शायी गई मदों में से केवल स्टॉम्प शुल्क पर लगाये गये एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तथा गौण खनिज के रायल्टी की राशि, पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को नियमित प्रदान की जा रही है, किन्तु इसके वितरण किये जाने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किये जाने की आवश्यकता है।

12.49 अतएव राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि जिस प्रकार संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा वाणिज्य कर (पंजीयन) विभाग से स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क तथा खनिज विभाग से गौण खनिज रॉयल्टी की राशि संबंधी जानकारी प्राप्त कर अपने बजट में सम्मिलित करते हुये नगरीय निकायों को उसका अंतरण किया जाता है, उसी प्रकार पंचायत

संचालनालय भी अतिरिक्त स्टॉम्प शुल्क तथा गौण खनिज रॉयल्टी की राशि संबंधी जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त कर अपने बजट में सम्मिलित करे और पंचायती राज संस्थाओं को अंतरण की कार्यवाही करे।

12.50 छत्तीसगढ़ शासन खनिज संसाधन विभाग द्वारा संग्रहित गौण खनिज रायल्टी की राशि में से पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 67 प्रतिशत राशि तथा नगरीय निकायों से संबंधित 100 प्रतिशत राशि, कार्यालय कलेक्टर के माध्यम से संबंधित निकायों को वितरित कर दी जाती है किन्तु, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 33 प्रतिशत राशि जो पंचायत संचालनालय को दी जाती है, उसका संबंधित संस्थाओं को वर्तमान में अंतरण नही हो रहा है। **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि गौण खनिज रायल्टी की 33 प्रतिशत राशि जो पंचायत संचालनालय को दी जाती है, उसे संबंधित पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की जाये।**

12.51 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 अनुसार, भू–राजस्व पर उपकर लगाकर संग्रहित राशि, ग्राम पंचायतों को प्रदान करना है। राज्य सरकार द्वारा भू–राजस्व को ही माफ कर दिया जाता है इसलिए भू–राजस्व पर लगाये जाने वाले उपकर का भी संग्रहण नही होता है। चूंकि भू–राजस्व कर–उपकर का संग्रहण नही हो रहा है इसलिये ग्राम पंचायतों को इसका अंतरण भी नही हो रहा है। **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि पंचायत विभाग द्वारा वित्त विभाग तथा राजस्व विभाग से समन्वय कर, संभावित भू–राजस्व उपकर की राशि का आंकलन करे तथा उसके समतुल्य राशि, ग्राम पंचायतों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाये।**

12.52 मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1981 एवं छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम 2022 के अनुसार, कृषि एवं रिक्त भूमि के अंतरण पर लगने वाले 5 प्रतिशत उपकर की राशि संग्रहित कर, ग्रामीण विकास निधि में स्थानांतरित की जा रही है किन्तु इसका अंतरण पंचायती राज संस्थाओं को नही हो रहा है। **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि अधिरोपित उपकर से संग्रहित राशि, जो ग्रामीण विकास निधि में जाती है, को तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायतों को वितरित किया जाये एवं नियमित रूप से इसका अंतरण प्रारंभ किया जाये। गत पांच वर्षो में उपकर की राशि तालिका क्र. 12.16 में दी गई है।**

तालिका - 12.16
ग्रामीण विकास निधि में उपलब्ध वास्तविक एवं प्रक्षेपित राशि

(राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	योग
उप. राशि	30	30	30	30	30	150.00
वर्ष	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	योग
प्रक्षेपित राशि	30	30	30	30	30	150.00

स्रोतः शासन के बजट पत्र।

12.53 छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2010 में, आबकारी वस्तुओं के शुल्क पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाकर संग्रहित राशि, पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को अंतरित किये जाने का प्रावधान किया गया है, किन्तु इसका अंतरण स्थानीय निकायों को नही किया जा रहा है। **आयोग अनुशंसा करती है कि 10 प्रतिशत आबकारी अधिभार की राशि का नियमित अंतरण किया जाये।**

तालिका - 12.17
आबकारी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत अधिभार की वास्तविक एवं प्रक्षेपित राशि

(राशि करोड़ रू. में)

वर्ष	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	योग
वास्तविक राशि	281.88	318.81	323.04	246.18	261.27	**1431.18**
वर्ष	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	योग
प्रक्षेपित राशि	382.53	420.78	462.86	509.14	560.06	**2335.35**

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़।

12.54 वर्तमान समनुदेशित प्राप्तियों के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों को निम्नांकित 8 मदों में राशि का अंतरण किया जा रहा है।

1. स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क
2. गौण खनिज से प्राप्त रॉयल्टी/राजस्व का अंतरण
3. एफ.एल. लायसेंस शुल्क का नगरीय निकायों को अनुदान
4. सामान्य उद्देश्यीय अनुदान
5. वाहनों पर कर से प्राप्त आय से नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए अनुदान
6. प्रवेश कर से प्राप्त आय के बराबर नगरीय निकायों का अनुदान
7. राज्य उत्पादन कर से नगरीय निकायों को अनुदान
8. यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में स्थानीय निकायों को विशेष अनुदान

12.55 पैरा 12.54 में दर्शित 8 मदों में से क्र. 1 एवं 2 पर दर्शित क्रमशः स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और गौण खनिजों पर रॉयल्टी ही नगरीय निकायों को समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में अंतरित की जा रही है। क्रमांक 3 से 8 तक 6 मदों में मदों की राशि बजट पत्रों के अनुसार नगरीय निकायों को समनुदेशित प्राप्तियों के स्थान पर अनुदान के रूप में प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के बीच 5 वर्षों में अनुदान के रूप में इन मदों से औसत प्रतिवर्ष रू. 1044.73 करोड़ प्रदान किये गये है जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। जब कभी इन करों का अधिरोपण किया जाता था तब आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि अथवा विकास से कर संग्रहण में भी वृद्धि होती थी और इसका लाभ सीधे नगरीय निकायों को प्राप्त होता था। अब करों के स्थान पर एक मुश्त राशि अनुदान के रूप में प्रदान किये जाने के कारण नगरीय निकायों को आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि का लाभ नही मिलता है, और उन्हें हानि होती है। तालिका क्र. 12.18 में देखा जा सकता है कि पांच वर्षो की कुल प्रक्षेपित अनुदान की राशि, कुल राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रक्षेपित राशि का 7.72 प्रतिशत है। **अतएव राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि नगरीय निकायों को उपरोक्त परिच्छेद 12.54 में (क्रमांक 3 से 8) 6 मदों में दिये जा रहे अनुदान के स्थान पर, उसके समतुल्य राशि, राज्य वस्तु एवं सेवा कर के 7.72 प्रतिशत राशि, समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में प्रदान की जाये।**

तालिका - 12.18
अधिनिर्णय अवधि में प्रक्षेपित अनुदान का प्रक्षेपित राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) में प्रतिशत

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	वर्ष	वस्तु एवं सेवा कर से प्रक्षेपित प्राप्तियां	प्रक्षेपित अनुदान राशि	प्रक्षेपित अनुदान राशि का प्रक्षेपित राज्य वस्तु एवं सेवा कर से प्रतिशत
1	2022-23	11,795.96	1,149.27	9.74
2	2023-24	13,565.35	1,264.20	9.32
3	2024-25	15,600.15	1,390.62	8.91
अधिनिर्णय अवधि				
4	2025-26	17,940.18	1,529.68	8.53
5	2026-27	20,631.21	1,682.64	8.16
6	2027-28	23,725.89	1,850.91	7.80
7	2028-29	27,284.77	2,036.00	7.46
8	2029-30	31,377.49	2,239.60	7.14
योग		**1,20,959.54**	**9,338.83**	**7.72**

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़।

12.56 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से स्थानीय निकायों को मिलने वाली राशि का स्थानीय निकायों की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2017–18 से 2021–22 के बीच 5 वर्षो में स्थानीय निकायों की कुल प्राप्तियों में 32.75 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्तियों का है। पंचायती राज संस्थाओं की कुल प्राप्तियों में से 52.76 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त होता है। राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि 2025–26 से 2029–30 केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्रक्षेपित राशि रू. 14,169 करोड़ मिलने की संभावना है। अधिनिर्णय अवधि के वर्षो में केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से मिलने वाली प्रक्षेपित राशि तालिका क्र. 12.19 में दी गई है।

तालिका - 12.19
केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली प्रक्षेपित राशि

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	वर्ष	पंचायती राज संस्थाएं	नगरीय निकाय	योग
1	2025-26	1,761.30	559.55	2,320.85
2	2026-27	1,937.43	615.50	2,552.93
3	2027-28	2,131.17	677.06	2,808.23
4	2028-29	2,344.29	744.76	3,089.05
5	2029-30	2,578.72	819.24	3,397.95
योग		**10,752.90**	**3,416.11**	**14,169.01**

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़।

राज्य वित्त आयोग की राशि संबंधी अनुशंसा

12.57 राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं के आंकलन अनुसार स्थानीय निकायों को अधिनिर्णय अवधि 2025–26 से 2029–30 पांच वर्षो में कुल रू. 92,234.71 करोड़ की आवश्यकता है इसमें से रू. 18,937.06 करोड़ की राशि स्थानीय निकायों द्वारा स्वयं के स्रोत से प्राप्त किये जाने का अनुमान है। स्वयं के स्रोत में स्थानीय निकायों को समनुदेशित प्राप्तियों के अंतर्गत राज्य से मिलने वाली राशि भी सम्मिलित है। इस प्रकार संसाधन अंतराल रू. 73,297 करोड़ का है। अधिनिर्णय अवधि में 2025–26 से 2029–30 तक पांच वर्षों में अनुमानित रू 14,169.01 करोड़ केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होंगे। सभी ग्राम पंचायतो द्वारा करारोपण करने पर अधिनिर्णय अवधि में ग्राम पंचायतों को रू. 855.14 करोड़ अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त समनुदेशित प्राप्तियों के अंतर्गत दो मदें ग्रामीण विकास निधि एवं आबकारी शुल्क पर 10 प्रतिशत अधिभार की राशि भी स्थानीय निकायों को प्राप्त होगी, जिनका अधिनियमों/नियमों में प्रावधान किया गया है, किन्तु अंतरण नही किया जा रहा है। राज्य वित्त आयोग द्वारा इन मदों की राशि के अन्तरण की अनुशंसा की गई है। इस प्रकार इन मदों में कुल प्रक्षेपित राशि रू. 2,485.35 करोड़, स्थानीय निकायों को प्राप्त होगी।

तालिका क्र. 12.20
अन्य स्त्रोतो से स्थानीय निकायों को प्राप्तियां

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	विवरण	राशि
1.	केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर	14,169.01
2.	सभी ग्राम पंचायतों द्वारा करारोपण करने पर स्वयं के स्रोत से अतिरिक्त प्राप्तियां	855.14
3.	समनुदेशित प्राप्तियों की दो अतिरिक्त मदों में अनुमानित प्राप्ति	2,485.35
	योग	**17,509.50**

स्रोतः चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़।

12.58 इस प्रकार विभिन्न स्त्रोतों से रू. 17,509.50 करोड़ प्राप्त होने पर स्थानीय निकायों का संसाधन अंतराल कम होकर रू. 55,787.65 करोड़ रह जायेगा, जिसको पूर्ति हेतु राज्य वित्त आयोग को विचार करना है। इतनी विशाल राशि वित्त आयोग द्वारा 5 वर्षों में दिया जाना संभव नही है। स्थानीय निकायों की व्यय क्षमता को देखते हुये यह आवश्यक भी प्रतीत नही होता है। राज्य वित्त की स्थिति को देखते हुये **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य के शुद्ध कर आय की, 10 प्रतिशत राशि का हस्तान्तरण, स्थानीय निकायों को किया जाये।**

12.59 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्थानीय निकायों को न्यागमन की जाने वाली राशि की गणना के लिये राज्य राज्य की कर आय के प्रक्षेपित (Projected) मूल्यों को लिया गया है। राज्य के प्रक्षेपित आय में से राज्य करों की ऐसी राशि जिनका समनुदेशित प्राप्तियों के रूप में स्थानीय निकायों को सीधे अंतरण किया जाता है तथा कर संग्रहण लागत को घटाकर, प्राप्त राज्य की शुद्ध प्रक्षेपित कर आय में से, स्थानीय निकायों को अंतरण हेतु 10 प्रतिशत राशि की गणना की गई है।

चित्र - 12.1 राज्य की प्रक्षेपित शुद्ध कर आय की संगणना

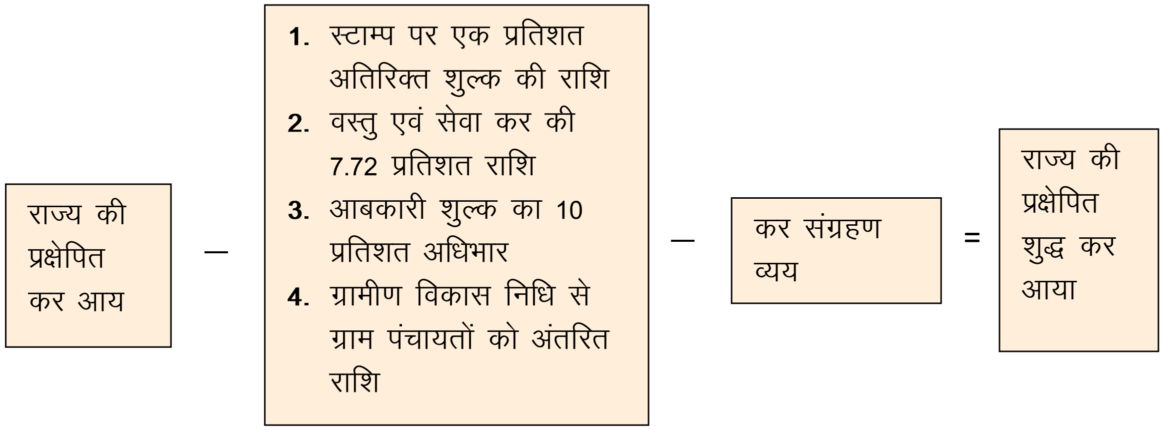

12.60 पैरा 12.59 में वर्णित पद्धति के आधार पर प्रक्षेपित शुद्ध कर आय की 10 प्रतिशत राशि की संगणना तालिका क्र. 12.21 में दी गई है। राज्य वित्त आयोग ने अधिनिर्णय अवधि 2025–26 से 2029–30 के लिये प्रक्षेपित शुद्ध कर आय का 10 प्रतिशत कुल अनुशंसित अनुमानित राशि रू. 22,854.51 करोड़, स्थानीय निकायों को 5 वर्षो में अंतरित होगा।

तालिका 12.21
अधिनिर्णय अवधि हेतु राज्य की कर आय से न्यागमन हेतु राशि की गणना

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	विवरण	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	योग 2025–30
1	राज्य की प्रक्षेपित कर आय	39527	43480	48731	54854	60887	**247479**
2	ऐसे कर/उपकर से प्राप्त आय जिसका न्यागमन स्थानीय संस्थाओं को सीधे किये जाते है। (अनुलग्नक 12.15)	2194.69	2411.16	2649.28	2911.20	3199.33	**13365.66**
3	कर संग्रहण व्यय	889.36	978.30	1096.45	1234.22	1369.96	**5568.28**
4	राज्य की प्रक्षेपित शुद्ध कर आय	36442.95	40090.54	44985.28	50708.58	56317.72	**228545.06**
5	शुद्ध कर आय की 10 प्रतिशत राशि	3644.30	4009.05	4498.53	5070.86	5631.77	**22854.51**

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

12.61 स्य निकायों के संसाधन अंतराल 55,787.65 करोड़ राज्य से 22,854.51 करोड़ के न्यागमन के बाद भी स्थानीय निकायों को रू. 32,933.14 करोड़ की कमी रह जाएगी। इस अधिनिर्णय अवधि के लिए जनवरी 2024 को 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग का गठन हुआ है। **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि स्थानीय निकायों की 32933 करोड़ रू. की आवश्यकता के अंतराल को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसकी मांग 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग से की जाये और राज्य शासन द्वारा इसे अपने ज्ञापन में सम्मिलित किया जाये।**

पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के मध्य विभाजन

उर्ध्वाधर (Vertical) विभाजन

12.62 वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2.55 करोड़ थी जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 76.76 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या 23.24 प्रतिशत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, जुलाई 2020 के अनुसार आयोग की अधिनिर्णय अवधि के प्रारंभिक वर्ष 2025 में राज्य की अनुमानित जनसंख्या 3.09 करोड़ हो जायेगी। इसमें 72.24 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और 27.76 प्रतिशत जनसंख्या शहरी होगी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक छत्तीसगढ़ की ग्रामीण जनसंख्या घटकर 70.65 प्रतिशत हो जायेगी। (अनुलग्नक 12.2)

12.63 छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्य वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना तथा द्वितीय एवं तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा 2011 की जनगणना में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुशंसित राशि का पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के मध्य विभाजन किया गया है। वर्ष 2021 की जनगणना नही हुई है किन्तु, वर्ष 2021 से 2030 तक की अनुमानित जनसंख्या के शासकीय आंकड़े उपलब्ध हैं। पूर्व आयोग द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया अनुसार वर्ष 2025 की अनुमानित जनसंख्या में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर अनुशंसित प्रतिशत का पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के मध्य उर्ध्वाधर (Vertical) वितरण किया जा सकता है।

12.64 राज्य वित्त आयोग द्वारा नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से चर्चा में एक मुद्दा आयोग के सामने रखा गया कि नगरीय निकायों में रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय आदि के लिये आस–पास तथा दूरवर्ती क्षेत्रों से भी प्रतिदिन अच्छी–खासी संख्या में लोगो का आना जाना होता है। यह अस्थायी जनसंख्या (Floating Population) नगरीय निकायों की स्थायी जनसंख्या के अतिरिक्त होती है। स्थायी जनसंख्या के साथ इस अस्थायी आबादी अथवा जनसंख्या के लिये भी नगरीय निकायों को नागरिक सुविधाओं यथा पानी, बिजली, स्वच्छता, आवागमन, स्ट्रीट लाईट इत्यादि की व्यवस्था करनी होती है, किन्तु राज्य वित्त आयोग द्वारा अपने न्यागमन सूत्र में इस अस्थायी जनसंख्या को गणना में नही लिया जाता है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि आयोग को संसाधनों का वितरण करते समय अस्थायी जनसंख्या को भी संज्ञान लेना चाहिए।

बॉक्स 12.1
छत्तीसगढ़ पूर्व राज्य वित्त आयोग द्वारा उध्र्वाधर (Vertical) विभाजन

विवरण	जनगणना	जनसंख्या अनुपात	उध्र्वाधर विभाजन
प्रथम राज्य वित्त आयोग	2001	79.9 : 20.1	6.63 : 1.66
द्वितीय राज्य वित्त आयोग	2011	76.8 : 23.2	6.15 : 1.85
तृतीय राज्य वित्त अयोग	2011	76.8 : 23.2	6.91 : 2.07

12.65 राज्य वित्त आयोग नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों द्वारा उठाये गये मुद्दे को संज्ञान में लेता है और वर्ष 2025 में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुमानित अनुपात 72.24% 27.76% में नगरीय निकायों की हिस्सेदारी में आंशिक वृद्धि करते हुये, **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि कुल 10 प्रतिशत अनुशंसित राशि में से 70 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं तथा 30 प्रतिशत राशि नगरीय निकायों को अंतरित की जाये।**

12.66 राज्य वित्त आयोग की अधिनिर्णय अवधि के लिये कुल अनुशंसित राशि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के मध्य उध्र्वाधर विभाजन तालिका क्र. 12.22 में दिया गया है।

तालिका 12.22
अधिनिर्णय अवधि के लिये कुल अनुशंसित राशि का पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के मध्य उध्र्वाधर विभाजन

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	वर्ष	कुल अनुमानित अनुशंसित राशि	पंचायती राज संस्थाएँ (70%)	नगरीय निकाय (30%)
1	2025-26	3,644.30	2,551.01	1,093.29
2	2026-27	4,009.05	2,806.34	1,202.72
3	2027-28	4,498.53	3,148.97	1,349.56
4	2028-29	5,070.86	3,549.60	1,521.26
5	2029-30	5,631.77	3,942.24	1,689.53
योग		**22,854.51**	**15,998.15**	**6,856.35**

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

12.67 जनसंख्या के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों के मध्य उध्र्वाधर विभाजन पश्चात् स्थानीय निकायों के लिये कुल अनुमानित अनुशंसित राशि रू 22854.51 करोड़ में पंचायती राज संस्थाओं को 15998.15 करोड़ रू. तथा नगरीय निकायों को रू. 6586.35 करोड़ का न्यागमन (Devolution) अनुमानित है।

पंचायती राज संस्थाओं में क्षैतिजीय (Horizontal) विभाजन

तालिका 12.23
पंचायती राज संस्थाओं के मध्य क्षैतिजीय विभाजन का सूत्र

क्र.	मानदण्ड	मानदण्ड का भार (प्रतिशत)		
		प्रथम आयोग	द्वितीय आयोग	तृतीय आयोग
1	ग्रामीण जनसंख्या	60	60	60
2	ग्रामीण भू–क्षेत्र / भौगोलिक क्षेत्रफल	20	20	20
3	ग्रामीण अनु.जाति / जनजाति जनसंख्या	10	10	10
4	ग्राम पंचायतों का प्रतिव्यक्ति आंतरिक राजस्व संग्रहण	10	—	—
5	गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारो की रेखा	—	10	—
6	समाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 से संबंधित वंचन सूचकांक	—	—	10
7	महिला साक्षरता	—	—	5

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

12.68 राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य की शुद्ध कर आय के निश्चित प्रतिशत के रूप में अनुशंसित राशि का स्थानीय निकायों के मध्य क्षैतिजीय (Horizontal) विभाजन आयोग द्वारा सुझाये गये विभाजनीय सूत्र के आधार पर होता है। पंचायती राज संस्थाओं के मध्य क्षैतिजीय विभाजन कि लिये प्रथम एवं द्वितीय राज्य वित्त आयोगों द्वारा 4–4 मानदण्ड तथा तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा 5 मानदण्डो की अनुशंसा की गई थी। इनमें से तीन मानदण्डो जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा अनु. जाति / जनजाति जनसंख्या को तीनों आयोगों द्वारा लिया गया था। इनके अलावा प्रथम आयोग द्वारा राजस्व संग्रहण को, द्वितीय आयोग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों की संख्या तथा तृतीय आयोग द्वारा सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 में सम्मिलित वंचन सूचकांक तथा महिला साक्षरता के मानदण्ड निर्धारित करने की अनुशंसा की गई थी।

12.69 राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के वितरण के लिये वितरण सूत्रों की अनुशंसा की जाती है तथा शासन द्वारा अपने कृत कार्यवाही प्रतिवेदन (Action Taken Report - ATR) में उसे मान्य भी किया जाता है, किन्तु वास्तव में अनुशंसित राशि के वितरण हेतु मान्य वितरण सूत्र का उपयोग नहीं किया जाता है।

12.70 केन्द्रीय वित्त आयोग की राशि भी जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर जिलों को वितरित की जाती है, जिला स्तर से केवल जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों के मध्य अनुशंसित राशि वितरित की जाती है।

12.71 वितरण सूत्र के संबंध में निम्नांकित बिंदु उल्लेखनीय है –

- वितरण सूत्र में लिये गये मानदण्डों से संबंधित आंकड़े ग्राम पंचायतवार आसानी से उपलब्ध नही होते हैं।
- यदि आंकड़े उपलब्ध हो भी जाये तो एक से अधिक मानदण्डों के आधार पर राशि के वितरण हेतु कम्प्यूटर तकनीक अथवा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, जिसे तैयार करना अपने आप में एक चुनौती है।

12.72 राज्य वित्त आयोग का मत है कि जब तक ग्राम पंचायत स्तर तक आवश्यक आंकड़ों की उपलब्धता ना हो तथा विभाग के स्तर पर तकनीक का विकास नही होता है, तब तक न्यूनतम मानदण्डो के आधार पर राशि का वितरण किया जाना उचित होगा।

12.73 **अतएव राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि पंचायती राज संस्थाओं के मध्य अनुशंसित राशि का वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाये।**

12.74 **राज्य वित्त आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों का क्षेत्रफल अधिक और जनसंख्या कम होती है, इसलिये जनसंख्या मानदण्ड को अपनाने से अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को हानि न हो इसलिए सामान्य रूप से सभी ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राशि के अतिरिक्त अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतो को, प्रति ग्राम पंचायत 2.5 लाख रूपये अतिरिक्त दी जाये।**

नगरीय निकायों में क्षैतिजीय विभाजन

तालिका 12.24

नगरीय निकायों के मध्य क्षैतिजीय विभाजन/वितरण का सूत्र

क्र.	मानदण्ड	मानदण्ड का भार		
		प्रथम आयोग	द्वितीय आयोग	तृतीय आयोग
1.	जनसंख्या	10	70	70
2.	राजस्व प्रयास	40	10	–
3.	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुविधा पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति व्यय से दूरी	50	–	–
4.	क्षेत्रफल	–	10	20
5.	मलिन बस्ती जनसंख्या	–	10	–
6.	निष्पादन अनुदान	–	–	10

*द्वितीय राज्य वित्त आयोग द्वारा नगर पंचायतों के संबंध में मलिन बस्ती के आधार को असंगत मानते हुये जनसंख्या को 80 प्रतिशत मानदण्ड भार दिये जाने की अनुशंसा की गई।

12.75 पंचायती राज संस्थाओं की भांति नगरीय निकायों के मध्य क्षैतिजीय वितरण के लिए भी पूर्ववर्ती राज्य वित्त आयोगों द्वारा विभिन्न मानदण्डों अथवा विभाजनीय सूत्र के आधार पर अनुशंसित राशि के वितरण अथवा विभाजन की अनुशंसाएं की गई है। पूर्ववर्ती तीनों आयोगों द्वारा मानदण्ड़ों में जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है। प्रथम वित्त आयोग द्वारा 10 प्रतिशत भार तथा द्वितीय एवं तृतीय आयोग द्वारा जनसंख्या को 70 प्रतिशत भार दिया गया है। वर्तमान में 2017–18 से 2021–22 के बीच 5 वर्षों में नगरीय निकायों की स्वयं के स्रोत से प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों का 28 प्रतिशत है। प्रदर्शन अथवा निष्पादन के आधार पर नगरीय निकायों का मूल्यांकन करने से पहले हमें उनका सुदृढ़ीकरण करना चाहिये। इसके साथ ही स्थानीय निकायों का मूल दायित्व नगरीय निकायों के क्षेत्राधिकार में निवासरत जनसंख्या को मूल नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना है, इसलिये अनुशंसित राशि के वितरण अथवा निष्पादन की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए केवल

जनसंख्या के आधार पर नगरीय निकायों को अनुशंसित राशि का वितरण किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं की भांति नगरीय निकायों द्वारा भी राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि के वितरण के लिये वितरण सूत्र अथवा मानदण्डो का प्रयोग नही किया जाता है। **राज्य वित्त आयोग अनुशंसित राशि का नगरीय निकायों के मध्य क्षैतिजीय वितरण के लिये निम्नानुसार मानदण्डो की अनुशंसा करता है।**

तालिका 12.25
नगरीय निकायों के मध्य क्षैतिजीय वितरण हेतु मानदण्ड

क्र.	मानदण्ड	मानदण्ड का भार
1	जनसंख्या	90
2	क्षेत्र	10

अनुशंसित राशि का पंचायती राज संस्थाओं के मध्य वितरण

12.76 राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों से चर्चा के समय, विशेष रूप से जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के जनप्रतिनिधियों को कहना था कि उनके विस्तृत क्षेत्र की जनता की उनसे बहुत अपेक्षायें रहती हैं किन्तु, जिला एवं जनपद स्तर पर विकास के लिये बहुत कम राशि उपलब्ध होने के कारण वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा नही कर पाते है, इसलिये राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं का मिलने वाली राशि में जिला एवं जनपद पंचायत की हिस्सेदारी में वद्धि की जानी चाहिये।

बॉक्स 12 .3
छत्तीसगढ़ पूर्व राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य राशि के विभाजन हेतु अनुशंसाएँ

क्र.	विवरण	अनुशंसाएँ		
		प्रथम आयोग	द्वितीय आयोग	तृतीय आयोग
1	ग्राम पंचायत	90	85	80
2	जनपद पंचायत	08	10	15
3	जिला पंचायत	02	05	05

स्रोत : राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ़ प्रतिवेदन

12.77 राज्य वित्त आयोग का मत है कि त्रि–स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का उद्देश्य मुख्यतः ग्राम पंचायतों का विकास है। जिला एवं जनपद पंचायत को प्रदत्त राशि भी उनके द्वारा अन्ततः ग्राम पंचायतों के विकास पर ही व्यय की जाती है। **अतएव राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को न्यागमन की जाने वाली राशि, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के मध्य क्रमशः 85 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत के अनुपात में विभाजित की जाये।**

12.78 राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपात 85 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, और 5 प्रतिशत के अनुपात में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत में राज्य वित्त आयोग द्वारा अधिनिर्णय अवधि के लिये अनुशंसित

राशि का विभाजन करने पर पांच वर्षो में ग्राम पंचायतों को अनुमानित राशि रू. 13598.43 करोड़ प्राप्त होगा। जनपद एवं जिला पंचायत को अनुमानित राशि रू. 1599.82 तथा रू. 799.91 करोड़ की राशि प्राप्त होने का अनुमान है।

तालिका 12.26
राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायतों को न्यागमन की जाने वाली अनुमानित राशि

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.	वितरण	अनुमानित राशि					
		2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	योग
1	ग्राम पंचायत	2168.36	2385.39	2676.62	3017.16	3350.90	13598.43
2	जनपद पंचायत	255.10	280.63	314.90	354.96	394.22	1599.82
3	जिला पंचायत	127.55	140.32	157.45	177.48	197.11	799.91
योग		2,551.01	2,806.34	3,148.97	3,549.60	3,942.24	15,998.15

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ

ग्राम पंचायत हेतु प्रति व्यक्ति अनुशंसित राशि

12.79 अधिनिर्णय अवधि में प्रथम वर्ष 2025–26 में ग्राम पंचायतों के लिये प्रति व्यक्ति अनुमानित अनुशंसित राशि रू. 1,105.85 है, जो कि बढ़कर 2029–30 में रू. 1,708.95 हो जायेगा। प्रति व्यक्ति अनुमानित अनुशंसित राशि से ग्राम पंचायत की जनसंख्या का गुणा कर किसी भी ग्राम पंचायत को मिलने वाली अनुमानित अनुशंसित राशि की गणना की जा सकती है। इसे तालिका 12.27 में देखा जा सकता है।

तालिका 12.27
अधिनिर्णय अवधि में ग्राम पंचायतो हेतु प्रति व्यक्ति अनुशंसित राशि

(राशि रू. में)

विवरण	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	योग
ग्राम पंचायत	1,105.85	1,216.54	1365.07	1538.74	1708.95	6935.14

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ

12.80 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रति ग्राम पंचायत औसत प्राप्ति वर्ष 2025–26 में रू. 18.59 लाख है, जो कि 2029–30 में बढ़कर रू. 28.73 लाख हो जायेगी। अधिनिर्णय अवधि के पांच वर्षो मे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रति ग्राम पंचायत कुल रू. 1.17 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। राज्य वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या के आधार पर अनुशंसित राशि के न्यागमन की अनुशंसा की गई है। इसलिये वास्तवित प्राप्तियाँ जनसंख्या के आधार पर कम अथवा ज्यादा हो सकती है।

तालिका 12.28
अधिनिर्णय अवधि में प्रत्येक पंचायती राज संस्थाओं को अनुशंसित राशि की औसत प्राप्ति

(राशि रू. में)

विवरण	निकाय की संख्या	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	योग
ग्राम पंचायत	11664	18,59,015.40	20,45,084.93	22,94,773.56	25,86,728.84	28,72,860.22	**1,16,58,462.95**
जनपद पंचायत	146	1,74,72,647.54	1,92,21,491.25	2,15,68,282.67	2,43,12,332.91	2,70,01,645.17	**10,95,76,399.56**
जिला पंचायत	28	4,55,53,688.24	5,01,13,173.63	5,62,31,594.11	6,33,85,725.09	7,03,97,146.35	**28,56,81,327.41**

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग छत्तीसगढ

स्थानीय निकायों की अनुमानित प्राप्तियां

स्वयं के स्रोत से

12.81 अधिनिर्णय अवधि में स्थानीय निकायों को स्वयं के स्रोत से कुल प्रक्षेपित (Projected) प्राप्तियाँ रू. 7,119.68 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों की प्रक्षेपित अनुमान प्राप्तियाँ क्रमशः रू. 615.51 करोड़ तथा 6,504.17 करोड़ है। अधिनिर्णय अवधि के वर्षों में वर्षवार प्राप्तियाँ तालिका क्र. 12.29 में देखी जा सकती है।

तालिका 12.29
अधिनिर्णय अवधि में स्थानीय निकायों को स्वयं के स्रोत से (समनुदेशित प्राप्तियों को छोड़कर) प्रक्षेपित प्राप्तियां

(राशि करोड़ रू.)

क्र.	वर्ष	पंचायती राज संस्थाएँ	नगरीय निकाय	योग
1	**2025–26**	100.82	1,065.37	1,166.19
2	**2026–27**	110.90	1,171.90	1,282.80
3	**2027–28**	121.99	1,289.09	1,411.08
4	**2028–29**	134.19	1,418.00	1,552.19
5	**2029–30**	147.61	1,559.80	1,707.41
योग		**615.51**	**6,504.17**	**7,119.68**

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़, अनुलग्नक 12.10, 12.13

समनुदेशित प्राप्तियां

12.82 स्थानीय निकायों की अधिनिर्णय अवधि में समनुदेशित प्राप्तियों से अनुमानित प्रक्षेपित प्राप्तियाँ रू. 11817.38 करोड़ है। इसमें से पंचायती राज संस्थाओं को रू. 1805.66 करोड़ और नगरीय निकायों को रू. 19011.72 करोड़ की अनुमानित राशि प्राप्त होने का अनुमान है। अधिनिर्णय अवधि में प्रथम वर्ष 2025–26 में रू. 1935.66

करोड़ की अनुमानित प्राप्तियां, अधिनिर्णय अवधि के अन्तिम वर्ष 2029–30 में बढ़कर रू. 2,834.00 करोड़ होने का अनुमान है। विस्तृत आंकड़े तालिका 12.30 में दर्शाये गये है।

तालिका 12.30
अधिनिर्णय अवधि में स्थानीय निकायों को समनुदेशित प्राप्तियों के अंतर्गत प्रक्षेपित प्राप्तियां

(राशि करोड़ रू.)

क्र.	वर्ष	पंचायती राज संस्थाएँ	नगरीय निकाय	योग
1	**2025–26**	295.76	1,639.90	1,935.66
2	**2026–27**	325.34	1,803.88	2,129.22
3	**2027–28**	357.87	1,984.27	2,342.14
4	**2028–29**	393.66	2,182.70	2,576.36
5	**2029–30**	433.03	2,400.97	2,834.00
योग		**1,805.66**	**10,011.72**	**11,817.38**

स्रोत : 1. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़, अनुलग्नक 12.10 अनुलग्नक 12.13
2. नगरीय निकायों की समनुदेशित प्राप्तियों के अंतगर्त, अनुदान भी सम्मिलत है।

अतिरिक्त प्राप्तियां

12.83 अधिनिर्णय अवधि में शत् प्रतिशत ग्राम पंचायत द्वारा कर एवं शुल्कों का अधिरोपण करने से रू. 855.15 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्तियां अनुमानित है। इसी प्रकार समनुदेशित प्राप्तियों के मद में ग्रामीण विकास निधि तथा आबकारी वस्तुओं पर स्थानीय निकायों के लिये लगाये गये 10 प्रतिशत अधिभार से क्रमशः रू 150 करोड़ और 2335.37 करोड़ प्राप्तियाँ अनुमानित हैं। तीनो मदों में अधिनिर्णय अवधि रू. 3,340.52 करोड़ प्राप्तियाँ अनुमानित है।

तालिका 12.31
अधिनिर्णय अवधि में प्रक्षेपित अतिरिक्त प्राप्तियां

(राशि करोड़ रू.)

क्र.	वर्ष	शत प्रतिशत ग्राम पंचायतों द्वारा करारोपण करने पर	ग्रामीण विकास निधि	आबकारी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत अधिभार	योग
1	**2025–26**	140.07	30.00	382.53	552.60
2	**2026–27**	154.08	30.00	420.78	604.86
3	**2027–28**	169.49	30.00	462.86	662.35
4	**2028–29**	186.43	30.00	509.14	725.57
5	**2029–30**	205.08	30.00	560.06	795.14
योग		**855.15**	**150.00**	**2,335.37**	**3,340.52**

कुल प्राप्तियां

12.84 स्थानीय निकायों को समस्त स्रोतों से अधिनिर्णय अवधि के 5 वर्षो में अनुमानित आवश्यक राशि रू. 92,234.21 रू. करोड़ के विरूद्ध रू. 59,301.09 करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित है। स्थानीय निकायों की समस्त स्रोतों से प्राप्तियों को तालिका क्र. 12.32 में दिखाया गया है।

तालिका 12.32
अधिनिर्णय अवधि में स्थानीय निकायों की कुल अनुमानित प्राप्तियां

(राशि करोड़ रू.)

क्र.	वर्ष	स्वयं के स्रोत	समनुदेशित प्राप्तियां	केन्द्रीय वित्त आयोग	अतिरिक्त प्राप्तियां	राज्य वित्त आयोग अनुशंसा	योग
1	**2025—26**	1,166.19	1,935.66	2,320.85	552.60	3,644.30	9,619.60
2	**2026—27**	1,282.80	2,129.22	2,552.93	604.86	4,009.05	10,578.86
3	**2027—28**	1,411.08	2,342.14	2,808.23	662.35	4,498.53	11,722.33
4	**2028—29**	1,552.19	2,576.36	3,089.05	725.57	5,070.86	13,014.03
5	**2029—30**	1,707.41	2,834.00	3,397.95	795.14	5,631.77	14,366.27
योग		**7,119.67**	**11,817.38**	**14,169.01**	**3,340.52**	**22,854.51**	**59,301.09**

स्रोत : चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़

स्थानीय निकायों का राशि अंतरण की प्रक्रिया

वर्तमान प्रक्रिया - पंचायती राज संस्थाएँ

12.85 पंचायती राज संस्थाओं को राज्य से मुख्य रूप से दो प्रकार की राशियों का अंतरण होता है। एक राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि और दूसरा समनुदेशित प्राप्तियाँ (Assigned Revenue) राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली राशि 09 योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जा रही है। योजनाओं में से एक योजना "ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान" नाम से है। इस योजना के अंतर्गत ही सभी ग्राम पंचायतों को राशि प्रदान की जाती है। इस राशि को ग्राम पंचायतें अपनी प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायतों के मूलभूत दायित्वों को संपादित करने पर व्यय कर सकती है। शेष योजनाएँ विशिष्ट प्रयोजनों जैसे आंतरिक सड़को गलियों के क्रांक्रीटीकरण, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइटिंग से संबंधित कार्यो को संपादित करने से संबंधित है। इन योजनाओं के अंतर्गत राशि उन्ही ग्राम पंचायतों को प्राप्त होती है, जिन्हे राज्य स्तर से योजना के अंतर्गत राशि स्वीकृत की जाती है। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसित राशि से संचालित योजनाएँ निम्नानुसार हैः—

1. ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यो हेतु अनुदान
2. मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना
3. जिला पंचायत विकास निधि

4. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता विकास

5. जनपद पंचायत निधि

6. सचिवीय व्यवस्था

7. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण

8. मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना

9. गांव की गलियों का आंतरिक विद्युतीकरण

12.86 **राज्य वित्त आयोग निम्नानुसार अनुशंसाएँ करता है :–**

1. **आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिये अनुशंसित कुल राशि में से 30 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं को अनाबद्ध [Untied] प्रदान की जाये, जिससे कि पंचायती राज संस्थाएँ इस राशि का उपयोग, नागरिकों को मूलभूत नागरिक सेवाये प्रदान करने के लिये, उनके संधारण पर व्यय कर सकें।**

2. **अनुशंसित राशि का 60 प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को पूंजीगत कार्यो के संपादन के लिये प्रदान किया जाय। यह राशि आबद्ध (Tied) हो सकती है। पूंजीगत मद में, आयोग द्वारा ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन (स्वच्छता एवं साफ–सफाई), आंतरिक सड़क/गलियों का निर्माण, नाली निर्माण तथा स्ट्रीट लाइटिंग संबंधी कार्यो को ही पूंजीगत व्यय के अनुदान में सम्मिलित किया गया है। इन मदों के अंतर्गत व्यय करने के विस्तृत निर्देश विभाग द्वारा जारी किये जायें।**

3. **राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राशि में, 5 प्रतिशत राशि से अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को, प्रति ग्राम पंचायत 2.50 लाख की दर से, अतिरिक्त राशि प्रदान की जाये।**

4. **अनुशंसित राशि में 5 प्रतिशत राशि से, ग्राम पंचायतों को स्वयं के स्रोत से आय बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किये जाने हेतु निष्पादन अनुदान के रूप मे दी जाये।**

वर्तमान प्रक्रिया - नगरीय निकाय

12.87 छतीसगढ़ नगर पालिक नियम 1956 की धारा 433 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक नियम 1961 की धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए नगरीय स्थानीय निकायों के अधोसंरचना विकास के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका नगर विकास निधि बनायी गई है। नगरीय स्थानीय निकायों के वित्तीय पोषण के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को समनुदेशित प्राप्तियों एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाली राशि छत्तीसगढ़ नगर पालिका नगर विकास निधि में जमा की जाती है। तत्पश्चात निम्नांकित योजनाओं में राशि का अंतरण स्थानीय नगरीय निकायों को किया जाता है :–

i. मरम्मत संधारण

ii. अस्थायी पेयजल कष्ट निवारण

iii. राज्य प्रवर्तित योजना

iv. स्वच्छता कमांडो

v. मिशन क्लीनसिटी स्वसहायता सदस्यों के मानदेय हेतु (सफाई मित्र हेतु)

vi. महापौर/अध्यक्ष निधि

vii. पार्षद निधि राशि

viii. एल्डरमेन निधि

ix. श्रद्धांजलि योजना

x. अनुमानित लंबित वेतन

xi. अनुमानित लंबित विद्युत देयक

12.88 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदान की जाने वाली राशि बजट में दो योजनाओं "नगरीय निकायों को मूलभूत सेवा हेतु अनुदान" तथा "नगरीय निकायों को अधोसंरचना विकास" के अंतर्गत दी जा रही है। **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि आयोग द्वारा अनुशंसित राशि का 30 प्रतिशत नगरीय निकायों के संधारण व्यय हेतु अनाबद्ध (Untide) , 65 प्रतिशत पूंजीगत कार्यों हेतु आबद्ध (Tide) , तथा शेष 5 प्रतिशत निष्पादन अनुदान (Peformance Grant), के रूप में प्रदान की जाये।**

स्थानीय निकायों को राशि अंतरण की प्रक्रिया

12.89 स्थानीय निकायों को समनुदेशित प्राप्तियों (Assigned Revenue) तथा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाली राशि के अंतरण के संबंध में **राज्य वित्त आयोग निम्नानुसार अनुशंसाएँ करता है :–**

1. **राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा तथा समनुदेशित प्राप्तियों की विभिन्न मदों के अंतर्गत, ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर पंचायतों की आयोग द्वारा अनुशंसित सूत्र के अनुसार उनके हिस्से की राशि, इसी प्रायोजन के लिये खोले गये पृथक बैंक खाते में PFMS द्वारा सीधे हस्तान्तरित की जायें।**

2. **राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आबद्ध (Tide) एवं अनाबद्ध (Untide) राशि नियमानुसार व्यय हो इस हेतु आवश्यक विस्तृत दिशा–निर्देश संबंधित विभाग द्वारा जारी किये जायें तथा वित्तीय अनुशासन के लिये नियमों का कठोरता से पालन कराया जाये।**

निष्पादन अनुदान (Performance Grant)

12.90 पंचायती राज संस्थाओं की कुल प्राप्तियों में स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों का हिस्सा 3 प्रतिशत है, जो कि बहुत कम है। इसी प्रकार नगरीय निकायों की कुल प्राप्तियों में स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत है। स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों के मामले मे नगरीय निकायो की स्थिति भी बहुत उत्साहजनक नही है। कुल मिलाकर स्थानीय निकायों की स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों में वृद्धि होनी चाहिये। राज्य वित्त आयोग का मत है कि स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों में वृद्धि करने के लिये स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

12.91 **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जितनी राशि एक वर्ष में स्वयं के स्रोत से प्राप्त की जाती है उतनी समतुल्य राशि आगामी वर्ष में उस ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान के रूप में प्रदान की जाये।**

12.92 नगरीय निकायों में भी नगर पंचायतो तथा नगर पालिका परिषदों का कुल प्राप्तियों में स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों का हिस्सा क्रमशः 13 एवं 15 प्रतिशत है। नगर पालिक निगमों की स्थिति कुछ बेहतर है उनकी स्वयं के स्रोत से प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का 35 प्रतिशत है। इस प्रकार नगरी निकायों को भी स्वयं के स्रोत से प्राप्ति में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

12.93 **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करती है कि नगरीय निकायों द्वारा गत वर्ष की तुलना में, स्वयं के स्रोत से प्राप्तियों मे जितनी राशि की वृद्धि की जाती है, उतनी राशि आगामी वर्ष में नगरीय निकाय को निष्पादन अनुदान के रूप में प्रदान की जाये।**

अभिसरण अनुदान (Convergence Grant)

12.94 केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें ग्राम पंचायतें अभिसरण (Convergence Grant) द्वारा अपने पंचायत क्षेत्र के विकास कार्य के लिये संबंधित योजना का लाभ ले सकती हैं। जैसे "महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना" (MENREGA) ऐसी योजना है। ऐसी और भी योजनाएं हो सकती है। अतएव ग्राम पंचायतों द्वारा अभिसरण को प्रोत्साहित करने के लिये **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल राशि में से, पांच प्रतिशत राशि अभिसरण मद में ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाये। इस राशि का केवल अभिसरण हेतु ही उपयोग किया जा सकेगा। पंचायत संचालनालय इसके उपयोग संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी करे।**

सहायता अनुदान (Assitance Grant)

12.95 स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से चर्चा कर सुझाव प्राप्त करने तथा निकायों की व्यवस्था का करीब से अवलोकन करने के लिये आयोग द्वारा विभिन्न संभागीय मुख्यालयों, जिला मुख्यालयों, जनपद पंचायतों, नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों का भ्रमण किया गया। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों वाले नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा इससे जुड़ी अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया। धार्मिक, सांस्कृतिक नगरी रतनपुर तथा ऐतिहासिक धरोहर वाली ग्राम पंचायत सिरपुर द्वारा अवगत कराया गया कि निकाय में तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के लिये विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है और उस

पर अतिरिक्त व्यय करना होता है, लेकिन पर्यटकों तथा दर्शनार्थियों से किसी प्रकार की आय प्राप्त नही होती है। अतएव **राज्य वित्त आयोग अनुशंसा करता है कि पंचायत तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, प्रदेश के ऐसे धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों वाले ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों की पहचान करें, और उस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का आंकलन करे तथा आवश्यक राशि राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के रूप में संबंधित स्थानीय निकायों को दिया जाये।**

सरजियस मिंज
अध्यक्ष
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, छत्तीसगढ़